न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री बनवारी लाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
105/2018	26.12.2018	28.12.2018

अनवान

1. बद्री सिंह पिता सादुल सिंह जी जाति दरोगा उम्र 45 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
2. गोवर्धन सिंह पिता सादुल सिंह जी जाति दरोगा उम्र 43 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
3. शम्भु सिंह पिता सादुल सिंह जी जाति दरोगा उम्र 42 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
4. बालु सिंह पिता सादुल सिंह जी जाति दरोगा उम्र 40 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

वादीगण

बनाम

1. गोपी लाल पिता मोहन लाल जाति दरोगा उम्र 60 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
2. श्रीमान भूमिधारी जी तहसील दार सा. तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री पीएस चौहान — अधिवक्ता वादी।
अधिवक्ता श्री हरीश जोशी — अधिवक्ता प्रतिवादी

–:: वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकार की घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वादीगण ने खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि वादीगण का सजरा मुताबिक वादपत्र होकर यह है कि ग्राम बस्सी पटवार हल्का लसाड़िया कलां तहसील राशमी के हल्के बेरूनी में खाता सं0 55 में अंकित आराजी नं0 82 रकबा 1–17 बीघा,आराजी संख्या 88 रकबा 2–13 बीघा, कुल किता 2 कुल रकबा 4–10 बीघा, कुल लगानी 12.64 रूपया स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व दिलीप, दिनेश पिता

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भंवर लाल भंवरी पत्नि भंवर लाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो कि प्रतिवादी सं. एक के नाम गलत दर्ज है उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा आपसी भाई बंटवाड़ा अनुसार पूर्वज सादुल के कब्जे काश्त अनुसार वादीगण काबिज होकर के काश्त करते आ रहे है। खातेदार दिलीप दिनेश भंवरी पत्नि भंवरलाल के विरूद्ध दाद नही चाहने से पक्षकार संयोजित नही किया गया है। यह कि ग्राम बस्सी पटवार हल्का लसाडियां कलां तहसील राशमी के हल्के बेरूनी में खाता सं0 56 में अंकित आराजी संख्या 72 रकबा 4-09 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 4-09 बीघा, कुल लगानी 4.09 रूपया स्थित है, उक्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व खातेदार दिलीप, दिनेश पिता भंवर लाल भंवरी पत्नि भंवर लाल व नारायण, शंकर पिता उदा लेहरी बेवा उदा, शम्भु लाल मिठु लाल पिता माधु सुन्दर पत्नि माधु, भेरू घीसी नानी पिता नन्दा जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम गलत दर्ज है उक्त आराजीयात का 22/89 हिस्सा आपसी भाई बंटवाड़ा अनुसार पूवर्ज सादुल के कब्जे काश्त अनुसार वादीगण काबिज होकर के काश्त करते आ रहे है। खातेदार दिलीप, दिनेश पिता भंवर लाल भंवरी पत्नि भंवर लाल व नारायण, शंकर पिता उदा लेहरी बेवा उदा, शम्भु लाल मिठु लाल पिता माधु सुन्दर पत्नि माध, भेरू घीसी नानी पिता नन्दा जाट के विरूद्ध दाद नही चाहने से पक्षकार संयोजित नही किया गया है। यह कि वाद वर्णित आराजी जैरबहस प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहन एवं वादीगण के पिता सादुल ने सयुंक्त रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया मगर मोहनलाल ने राजस्व व सेटलमेन्ट कर्मचारियो से मिलाभगती कर आराजी जैर का कुलिया हिस्सा अपने अकेले के नाम दर्ज करवा दिया जबकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दु-परिवार की संयुक्त सम्पति होकर के सादुल के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की होकर के वादीगण सादुल के वैद्यवारिस उतराधिकारी होकर के अपने पूर्वज सादुल के कब्जे कास्त अनुसार आज दिनांक तक शान्तिपूर्वक काबिज होकर के काश्त करते आ रहे है मगर आराजी जैर बहस प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गलत दर्ज रिकार्ड होने से दिनांक 15.12.2018 को धमकी दी है कि आराजी मैरे नाम है तुम कब्जा छोड देना अन्यथा में जबरन कब्जा कर लूंगा अतः यह घौषणा कराई जाना आवश्यक हो गया की वाद पत्र की चरण 2 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित आराजी जैर बहस में वादीगण का 22/89 हक हिस्सा होकर के खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत होकर के काबिल दुरस्ती के है। यह कि प्रतिवादी ने दिनांक 15.12.2018 को धमकी दी की आराजीयात मेरे नाम है तुम कब्जा छोड देना अन्यथा हम जबरन कब्जा कर लेगे अतः बिनाय वाद देने धमकी दिनांक 15.12.2018 से पैदा हुई जो निरन्तर हर रोज जारी है। अतः श्री मान से वादीगण की सविनय प्रार्थना है कि यह कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा की आज्ञप्ति इस अमर की जारी फरमाई जावे वाद पत्र चरण स 2 में वर्णित आराजी संख्या 82 रकबा 1-17 बीघा, आराजी संख्या 88 रकबा 2-13 बीघा, कुल किता 2 कुल रकबा 4-10 बीघा मैसे से 1/2 हक हिस्से का वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी संख्या 72 रकबा 4-09 बीघा, कुल किता 1 कुल रकबा 4-09 बीघा में वादीगण का 22/89 हक हिस्सा होकर के खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत होकर के काबिल दुरस्ती के है। यह कि वाद खर्च वकील मेहनताना टाईप टिकिट खर्चा भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। यह कि अन्य दाद जो न्यायालय आप भविष्य की परिस्थितियो में मुफिद समझे वह भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.12.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता हरीश जोशी हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया एवं इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में इकबालिया जवाबदावा पेश होने से तनकियात कायम नहीं

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की गई। साक्ष्यवादी में वादी बालुसिंह पिता सादुलसिंह जाति दरोगा का शपथपत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली हो कर PW-1 है। वादीगण की और से मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां के खाता संख्या 55 संवत् 2070-73 की नकल जमाबंदी पेश की गई जो कि प्रदर्श-1 है। मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां के खाता संख्या 56 संवत् 2070-73 की नकल जमाबंदी पेश की गई जो कि प्रदर्श-2 है। साक्ष्यवादी में और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन से साक्ष्यवादी बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1 का शपथ पत्र पेश हुआ जो कि शामिल पत्रावली होकर DW-1 है। और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रकरण में आज ही बहस पत्रावली का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से प्रस्तुत जवाबदावे से प्रतिवादी द्वारा वादपत्र का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है, वादपत्र पुष्ठि की गई एवं वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की गई। साक्ष्य वादी में वादी बालुसिंह पिता सादुलसिंह जाति दरोगा का शपथ पत्र पेश हुआ है जिसका प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में वादी का अखण्डित शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। साक्ष्यप्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल पिता मोहनलाल जाति दरोगा का शपथ पत्र पेश हुआ है जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादीगण के वाद पत्र का समर्थन किया गया है। मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 82 रकबा 1-17 बीघा आराजी संख्या 88 रकबा 2-13 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4-10 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हक हिस्से से दर्ज अंकित है जिसकी ताईद प्रदर्श-1 होती है। मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 72 रकबा 4-09 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हक हिस्से से

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज अंकित है जिसकी ताईद प्रदर्श–2 से होती है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस पत्रावली में वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। मनन किया। लोक अदालत की भावना से पत्रावली का निस्तारण आज ही किया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पद वादीगण द्वारा अपना वादपत्र साबित कराया गया है, ऐसी स्थिति में वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात एवं उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 82 रकबा 1–17 बीघा आराजी संख्या 88 रकबा 2–13 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4–10 बीघा का बद्रीसिंह गोवर्धनसिंह शम्भुसिंह बालुसिंह पिता सादुलसिंह जाति दरोगा को 1/2 हक हिस्से का एवं मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां तहसील राशमी की विवादित आराजी संख्या 72 रकबा 4–09 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 4–09 बीघा का बद्रीसिंह गोवर्धनसिंह शम्भुसिंह बालुसिंह पिता सादुलसिंह जाति दरोगा को 22/89 का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 82, 88 एवं 72 से प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल पिता मोहन लाल जाति दरोगा का नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जावें। शेष अंकन बदस्तूर रखा जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद किता शुमार दाखिल दफ्तर रहें।

यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक 28.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. बद्री सिंह पिता सादुल सिंह जी जाति दरोगा उम्र 45 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
2. गोवर्धन सिंह पिता सादुल सिंह जी जाति दरोगा उम्र 43 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
3. शम्भु सिंह पिता सादुल सिंह जी जाति दरोगा उम्र 42 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
4. बालु सिंह पिता सादुल सिंह जी जाति दरोगा उम्र 40 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

वादीगण

बनाम

1. गोपी लाल पिता मोहन लाल जाति दरोगा उम्र 60 साल निवासी बस्सी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
2. श्रीमान भूमिधारी जी तहसील दार सा. तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकार की घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज ::-

प्रकरण संख्या :- 105/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री पीएस चौहान अधिवक्ता वादी श्री हरीश जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 82 रकबा 1-17 बीघा आराजी संख्या 88 रकबा 2-13 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4-10 बीघा का बद्रीसिंह गोवर्धनसिंह शम्भुसिंह बालुसिंह पिता सादुलसिंह जाति दरोगा को 1/2 हक हिस्से का एवं मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां तहसील राशमी की विवादित आराजी संख्या 72 रकबा 4-09 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 4-09 बीघा का बद्रीसिंह गोवर्धनसिंह शम्भुसिंह बालुसिंह पिता सादुलसिंह जाति दरोगा को 22/89 का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं मौजा बस्सी पटवार हल्का लसाडिया कलां तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 82, 88 एवं 72 से प्रतिवादी संख्या 1 गोपीलाल पिता

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मोहन लाल जाति दरोगा का नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जावें। शेष अंकन बदस्तूर रखा जावें। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official